रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23012025-260381
CG-DL-E-23012025-260381

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 358] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 21, 2025/माघ 1, 1946
No. 358] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 21, 2025/MAGHA 1, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2025

सं. 52/2024–25

विषयः कृत्रिम रुप से उत्पन्न स्रोत से प्राप्त अगरवुड (एक्वीलेरिया मैलाकेंसिस) चिप्स और पाउडर और अगर ऑयल की निर्यात नीतिगत शर्त में संशोधन के संबंध में।

का.आ. 361(अ.)—समय–समय पर यथा संशोधित, विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतदद्वारा अगर वुड चिप्स और पाउडर एवं अगर ऑयल की निर्यात नीतिगत शर्तों में निम्नलिखित संशोधन करती है:

आइटीसी (एचएस) कोड एवं विवरण	निर्यात नीति	मौजूदा नीतिगत शर्त	नीतिगत शर्त
		कृत्रिम रुप से उत्पन्न स्रोत (वन क्षेत्रों के बाहर कृषित उद्गम क्षेत्र) से प्राप्त अगरवुड (एक्विलेरिया मैलाकेंसिस) चिप्स और पाउडर के निर्यात के लिए	कृत्रिम रुप से उत्पन्न स्रोत (वन क्षेत्रों के बाहर कृषित उद्गम क्षेत्र) से प्राप्त अगरवुड (एक्विलेरिया मैलाकेंसिस) चिप्स और पाउडर के

12119054 अगरवुड (एक्वीलेरिया मैलाकेंसिस) (चिप्स और पाउडर सहित)	प्रतिबंधित	वार्षिक कोटा निम्नानुसार निर्धारित किया गया है: अगरवुड चिप्स और पाउडर – 25000 कि.ग्रा. प्रति वर्ष। अगरवुड (एक्विलेरिया मैलाकेंसिस) पाउडर और चिप्स के निर्यात की अनुमति निम्नलिखित 'षर्तों के अधीन दी जाती है: i. कृत्रिम रुप से उत्पन्न स्रोतों (वन क्षेत्रों के बाहर कृषित उद्गम) से प्राप्त अगरवुड (एक्विलेरिया मैलाकेंसिस) के निर्यात के लिए निर्यात लाइसेंस के आवेदनों के साथ वैधानिक स्रोतों से खरीद की तारीख और खरीदी गई मात्रा का विवरण देते हुए संबंधित राज्य सरकार जहां से स्टॉक की खरीद/निर्यात किया गया था, द्वारा अधिकृत वन विभाग के अधिकारी द्वारा जारी उद्गम प्रमाणपत्र की अभिप्रमाणित प्रतियां होनी चाहिए। उद्गम प्रमाणपत्र में यह उल्लेख होना चाहिए कि जिस बागान से अगरवुड (एक्विलेरिया मैलाकेंसिस) प्राप्त किया गया था वह राज्य सरकार से पंजीकृत है। ii. स्टॉक के वास्तविक सत्यापन के बाद आवेदक के पास खरीदे गए और उपलब्ध स्टॉक की वर्तमान स्थिति का पीसीसीएफ द्वारा इस उद्देष्य के लिए नामित किए गए प्राधिकारी द्वारा प्रदान किया गया प्रमाण पत्र भी निर्यात लाइसेंस के लिए आवेदन के साथ संलग्न होना चाहिए। iii. संबंधित फर्म द्वारा प्राप्त निर्यात आदेष की एक प्रति। iv. वन विभाग द्वारा नामित संबंधित अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित उत्पादों की रंगीन तस्वीर। v. फर्म की ओर से एक वचनबद्वता कि अगरवुड (एक्विलेरिया मैलाकेंसिस) के निर्यात के लिए	निर्यात के लिए वार्षिक सीमा तीन वित्तीय वर्षो यानी 2024–25 से 2026–27 (अर्थात 1 अप्रैल, 2024 से षुरु होकर 31 मार्च, 2027 तक की अवधि हेतु) निम्नानुसार निर्धारित की गई है: अगरवुड चिप्स और पाउडर – **1,51,080 कि.ग्रा. प्रति वर्ष।** अगरवुड (एक्विलेरिया मैलाकेंसिस) पाउडर और चिप्स के निर्यात की अनुमति निम्नलिखित 'षर्तों के अधीन दी जाती है: i. कृत्रिम रुप से उत्पन्न स्रोतों (वन क्षेत्रों के बाहर कृषित उद्गम) से प्राप्त अगरवुड (एक्विलेरिया मैलाकेंसिस) के निर्यात के लिए प्राधिकार–पत्र हेतु आवेदनों में 'षामिल होना चाहिए: क. संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत वन विभाग अधिकारी द्वारा प्रत्यक्ष निरीक्षण के बाद जारी किए गए **उद्गम प्रमाणपत्र** की एक अभिप्रमाणित प्रति। प्रमाणपत्र में वैधानिक स्रोतों से की गई खरीद की मात्रा और तारीख का विवरण होना चाहिए और यह सुनिष्चित करें कि जिस बागान से अगरवुड प्राप्त किया गया था वह राज्य सरकार से पंजीकृत है। ख. वन विभाग द्वारा नामित संबंधित अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित उत्पादों की रंगीन फोटोग्राफ। ii. फर्म की ओर से एक **वचनपत्र** कि निर्यात के लिए प्रस्तावित अगरवुड (एक्विलेरिया मैलाकेंसिस) की मदों को अगरवुड की कटाई हेतु सीआईटीईएस की संभी षर्तो का पालन करते हुए बागान से काटा गया है और वास्तविक निर्यात के समय वैध सीआईटीईएस अनुमति पत्र के प्रस्तुत करने पर ही निर्यात किया जाएगा।

		प्रस्तावित मदों को सीआईटीइएस की अगरवुड (एक्विलेरिया मैलाकेंसिस) की कटाई से संबंधित सभी षर्तों का पालन करते हुए बागान से काटा गया है।	
33013010 अगर ऑयल	प्रतिबंधित	कृत्रिम रुप से उत्पन्न स्रोत से प्राप्त अगर ऑयल के निर्यात के लिए वार्षिक कोटा निम्नानुसार निर्धारित किया गया है: अगर ऑयल– **1,500 कि.ग्रा. प्रति वर्ष।** अगर ऑयल के निर्यात की अनुमति निम्नानुसार षर्तों के अधीन दी जाती है: i. कृत्रिम रुप से उत्पन्न स्रोतों (वन क्षेत्रों के बाहर कृत्रिम उद्गम) से प्राप्त अगरवुड (एक्विलेरिया मैलाकेंसिस) से निकाले गए अगर ऑयल के निर्यात के लिए लाइसेंस के आवेदन के साथ वैधानिक स्रोतों से खरीद की तारीख और खरीदी गई मात्रा का विवरण देते हुए संबंधित राज्य सरकार जहां से स्टॉक की खरीद या निर्यात किया गया था द्वारा अधिकृत वन विभाग के अधिकारी द्वारा जारी उद्गम प्रमाणपत्र की अभिप्रमाणित प्रतियां होनी चाहिए। उद्गम प्रमाणपत्र में यह उल्लेख होना चाहिए कि जिस बागान से अगरवुड (एक्विलेरिया मैलाकेंसिस) प्राप्त किया गया था वह राज्य सरकार से पंजीकृत है। ii. स्टॉक के वास्तविक सत्यापन के बाद आवेदक के पास खरीदे गए और उपलब्ध स्टॉक की वर्तमान स्थिति का पीसीसीएफ द्वारा इस उद्देष्य के लिए नामित किए गए प्राधिकारी द्वारा प्रदान किया गया प्रमाण पत्र भी निर्यात लाइसेंस के लिए आवेदन के साथ संलग्न होना चाहिए। iii. संबंधित फर्म द्वारा प्राप्त निर्यात आदेष की एक प्रति। iv. वन विभाग द्वारा नामित संबंधित अधिकारी द्वारा विधिवत	कृत्रिम रुप से उत्पन्न स्रोत (वन क्षेत्रों के बाहर कृषित उद्गम क्षेत्र) से प्राप्त अगरवुड (एक्विलेरिया मैलाकेंसिस) से निकाले गए अगर ऑयल के निर्यात के लिए वार्षिक सीमा तीन वित्तीय वर्षों यानी 2024–25 से 2026–27 (अर्थात 1 अप्रैल, 2024 से षुरु होकर 31 मार्च, 2027 तक की अवधि हेतु) निम्नानुसार निर्धारित की गई है: **अगर ऑयल– 7,050 कि.ग्रा. प्रति वर्ष।** अगर ऑयल के निर्यात की अनुमति निम्नानुसार षर्तों के अधीन दी जाती है: i. कृत्रिम रुप से उत्पन्न स्रोतों (वन क्षेत्रों के बाहर कृषित उद्गम) से प्राप्त अगर ऑयल के लिए प्राधिकार–पत्र हेतु आवेदनों में ‘षामिल होना चाहिए: क. संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत वन विभाग अधिकारी द्वारा प्रत्यक्ष निरीक्षण के बाद जारी किए गए **उद्गम प्रमाणपत्र** की एक अभिप्रमाणित प्रति। प्रमाणपत्र में वैधानिक स्रोतों से की गई खरीद की मात्रा और तारीख का विवरण होना चाहिए और यह सुनिष्चित करें कि जिस बागान से अगरवुड प्राप्त किया गया था वह राज्य सरकार से पंजीकृत है। ख. वन विभाग द्वारा नामित संबंधित अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित उत्पादों की रंगीन फोटोग्राफ। ii. फर्म की ओर से एक **वचनपत्र** कि निर्यात के लिए प्रस्तावित अगरवुड (एक्विलेरिया मैलाकेंसिस) के मदों को अगरवुड की कटाई हेतु सीआईटीईएस की सभी षर्तो का पालन करते हुए

		प्रमाणित उत्पादों (अगरवुड) (एक्विलेरिया मैलाकेंसिस) की रंगीन तस्वीर। v. फर्म की ओर से एक वचनबद्धता कि अगर ऑयल के निर्यात के लिए प्रस्तावित मदों को सीआईटीईएस की अगरवुड (एक्विलेरिया मैलाकेंसिस) की कटाई से संबंधित सभी षर्तों का पालन करते हुए बागान से काटा गया है।	बागान से काटा गया है और वास्तविक निर्यात के समय वैध सीआईटीईएस अनुमति पत्र के प्रस्तुत करने पर ही निर्यात किया जाएगा।

2. असम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, कर्नाटक, मेघालय, केरल और अन्य राज्यों से कृत्रिम रुप से उत्पन्न अगरवुड (एक्वीलेरिया मैलाकेंसिस) के निर्यात की अनुमति राज्यवार संषोधित वार्षिक सीमा (अनुलग्नक) के अनुसार दी जाएगी।

3. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

इस अधिसूचना का प्रभावः

कृत्रिम रुप से उत्पन्न स्रोतों से प्राप्त अगरवुड (एक्विलेरिया मैलाकेंसिस) चिप्स और पाउडर के लिए राज्य–वार वार्षिक निर्यात सीमा 25,000 किलोग्राम से बढ़ाकर 1,51,080 किलोग्राम कर दी गई है। अगर ऑयल के लिए राज्य–वार वार्षिक निर्यात सीमा 1,500 किलोग्राम से बढ़ाकर 7,050 किलोग्राम कर दी गई है, जो यथा विनिर्दिष्ट निर्यात नीतिगत षर्तों के अधीन है।

[फा.सं. 01/91/180/60/एएम21/ईसी/अगरवुड/ई–26475]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

अधिसूचना क्रमांक 52/2024–25 दिनांक 20.01.2025 हेतु अनुलग्नक

कृत्रिम रूप से उत्पन्न स्रोतो से प्राप्त अगरवुड (एक्वीलेरिया मैलाकेंसिस) के लिए राज्य–वार वार्षिक निर्यात सीमा

राज्य	अगरवुड चिप्स/पाउडर/बुरादा/ (बिना निःषेष हुआ),	अगर ऑयल (किग्रा में)
असम	1,19,400	5,560
त्रिपुरा	22,500	1,047
मणिपुर	4,000	200
नागालैंड	3,400	180
कर्नाटक	1,200	35
मेघालय	200	9
केरल	80	4
अन्य*	300	15
कुल	**1,51,080 किलोग्राम**	**7,050 किलोग्राम**

***अन्य सभी राज्यों को राज्य–वार सीमा हेतु सामूहित रुप से ''अन्य'' में शामिल कर दिया गया है क्योंकि इन राज्यों में तुलनात्मक रुप से उपज काफी कम है।**

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department Of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 2025

No. 52/2024-25

Subject:—Amendment in Export Policy condition of Agarwood (Aquilaria Malaccensis) Chips and Powder and Agar Oil obtained from artificially propagated sources – reg.

S.O. 361(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 read with Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 read with para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy 2023, as amended from time to time, the Central Government hereby makes the following amendments in Export Policy Conditions of **Agarwood Chips and Powder and Agar Oil :**

ITC(HS) Code & Description	Export Policy	Existing policy condition	Policy Condition
12119054 Agarwood (Aquilaria Malaccensis) (Including chips and Powder)	Restricted	The annual quota for export of Agarwood (Aquilaria Malaccensis) Chips and Powder obtained from artificially propagated source (cultivated origin outside forest areas) has been fixed as under: Agarwood Chips and Powder – 25000 Kg per annum. The export of Agarwood (Aquilaria Malaccensis) powder and Chips is permitted subject to following conditions: i. Applications for an export license for the export of agarwood (Aquilaria Malaccensis) obtained from artificially propagated sources (cultivated origin outside forest areas) should be accompanied by attested copies of certificate of origin issued by an Officer of the Forest Department, authorized by concerned State Government from where stocks were procured/exported, giving details of the date of procurement from legal sources and quantities procured. The certificate of origin should mention that the plantation from which agarwood (Aquilaria Malaccensis) was obtained is registered with the State Government. ii. A certificate of the current position of stocks so procured and available with the applicant given after physical verification of the stocks, by the authority nominated for the purpose by the PCCF, should also accompany the application for an export license. iii. A copy of the export order received by the concerned firm. iv. Coloured photograph of products	The annual limits for export of Agarwood (Aquilaria Malaccensis) Chips and Powder obtained from artificially propagated sources (cultivated origin outside forest areas) has been fixed for three financial years, viz, 2024-25 to 2026-27 (i.e. for the period starting from 1st April, 2024 till 31st March, 2027) as under: Agarwood Chips and Powder – **1,51,080 Kg per annum**. The export of Agarwood (Aquilaria Malaccensis) powder and Chips is permitted subject to following conditions: i. Applications for authorization to export agarwood (Aquilaria Malaccensis) sourced from artificially propagated plantations (cultivated outside forest areas) must include: a) An attested copy of a **Certificate of Origin** issued following a physical inspection by a Forest Department officer authorized by the relevant State Government. The certificate must detail the date and quantity of procurement from legal sources and confirm that the plantation from which the agarwood was sourced is registered with the State Government. b) A coloured photograph of the products, duly certified by the designated officer of the Forest Department. ii. An **undertaking** from the firm that items of Agarwood (Aquilaria Malaccensis) proposed to be exported has been harvested from plantation following all conditions of CITES for harvesting of Agarwood

		duly certified by the concerned officer designated by the Forest Department. v. An undertaking from the firm that items of agarwood (Aquilaria Malaccensis) proposed to be exported has been harvested from plantation following all conditions of CITES for harvesting of agarwood (Aquilaria Malaccensis).	and export shall be carried out only upon submission of a valid CITES permit at the time of actual export.
33013010 Agar Oil	Restricted	The annual quota for export of Agar Oil obtained from artificially propagated source has been fixed as under: Agar Oil – **1,500 Kg per annum**. The export of Agar Oil is permitted subject to following conditions: i. Applications for an export license for the export of agaroil extracted from agarwood (Aquilaria Malaccensis) obtained from artificially propagated sources (cultivated origin outside forest areas) should be accompanied by attested copies of certificate of origin issued by an Officer of the Forest Department authorized by concerned State Government from where stocks were procured/exported, giving details of the date of procurement from legal sources and quantities procured. The certificate of origin should mention that the plantation from which agarwood (Aquilaria Malaccensis) was obtained is registered with the State Government. ii. A certificate of the current position of stocks so procured and available with the applicant given after physical verification of the stocks, by the authority nominated for the purpose by the PCCF, should also accompany the application for an export license iii. A copy of the export order received by the concerned firm. iv. Coloured photograph of products (agarwood) (Aquilaria Malaccensis) duly certified by the concerned officer designated by the Forest Department. v. An undertaking from the firm that items of agaroil proposed to be exported has been harvested from plantation following all conditions of CITES for harvesting of agarwood (Aquilaria Malaccensis).	The annual limits for export of Agar Oil extracted from agarwood (Aquilaria Malaccensis) obtained from artificially propagated sources (cultivated origin outside forest areas) has been fixed for three financial years, viz, 2024-25 to 2026-27 (i.e. for the period starting from 1st April, 2024 till 31st March, 2027) as under: **Agar Oil – 7,050 Kg per annum.** The export of Agar Oil is permitted subject to following conditions: i. Applications for authorization to Agar Oil sourced from artificially propagated plantations (cultivated outside forest areas) must include: a) An attested copy of a **Certificate of Origin** issued following a physical inspection by a Forest Department officer authorized by the relevant State Government. The certificate must detail the date and quantity of procurement from legal sources and confirm that the plantation from which the agarwood was sourced is registered with the State Government. b) A coloured photograph of the products, duly certified by the designated officer of the Forest Department. ii. An **undertaking** from the firm that items of Agar Oil proposed to be exported has been harvested from plantation following all conditions of CITES for harvesting of Agarwood and export shall be carried out only upon submission of a valid CITES permit at the time of actual export.

2. Export of artificially propagated Agarwood (Aquilaria Malaccensis) and Agar Oil shall be allowed from the states of Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Karnataka, Meghalaya, Kerala and Others, as per the state-wise revised annual limits (**Annexure**).

3. This notification shall be effective immediately.

Effect of this Notification:

State-wise Annual Export Limits for Agarwood (Aquilaria Malaccensis) Chips and Powder obtained from artificially propagated sources is increased from 25,000 Kgs to 1,51,080 Kgs. State-wise Annual Export Limits for Agar Oil is increased from 1,500 Kgs to 7,050 Kgs, subject to the Export Policy conditions as specified.

[F. No. 01/91/180/60/AM21/EC/Agarwood/E-26475]
SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade
Ex-Officio Addl. Secy.

Annexure to Notification No. 52/2024-25 dated 20.01.2025

State-wise Annual Export Limits for Agarwood (Aquilaria Malaccensis) obtained from artificially propagated sources:—

State	Agarwood chips/ powder/ saw dust (non-exhausted) (in kgs)	Agar Oil (in kgs)
Assam	1,19,400	5,560
Tripura	22,500	1,047
Manipur	4,000	200
Nagaland	3,400	180
Karnataka	1,200	35
Meghalaya	200	9
Kerala	80	4
Others*	300	15
Total	**1,51,080 kgs**	**7,050 kgs**

*The State-wise limits for all other states is collectively included in “Others” because the harvest in these states is comparatively very less.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.01.23 14:14:01 +05'30'